बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 12–05–2022

स्थान : सभाकक्ष
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड दिलकुशा ,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 12.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री अनुराग यादव, सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
3– श्री राजेश कुमार पाण्डेय , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन , लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
4– डा0 दीप्ति सोनकर ,एशोसिएट प्रोफेसर,महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पी0जी0 कालेज नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ,उ0प्र0शासन	– सदस्या
5– श्री टी0पी0चौधरी , अपर निदेशक कृषि प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
6– डा0 इन्द्र मनि , निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
7–श्री गंगा सागर राय , प्रख्यान उद्योगपति	– सदस्य
8– श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति/अध्यक्ष ने प्रबन्ध परिष्द के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 192:1 प्रबन्ध परिषद की गत 191वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 191वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0192: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत को गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कृत कार्यवाही से सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी एवं सहमति व्यक्त करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गयेः–

प्रबन्ध परिषद की 191वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्तावसं0191:5 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधनार्थ प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के प्रस्ताव सं0 190:13 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07–07–2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली जिस पर प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के प्रस्ताव सं0 190:3 में बिन्दुवार प्रदान की गयी सैद्वान्तिक सहमति के अनुसार निर्गत कार्यवृत्त के कम में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुय बिन्दु सं0 1 से 6 तक के प्रस्ताव की पुष्टि की गयी एवं बिन्दु सं0 7 जो तकनीकी पदो से संबंधित है, के संबंध में यह अपेक्षा की गयी कि वित्तीय नियमों के आलोक में इसका परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा लिये गये निर्णय के संबंध में संशोधित प्रस्ताव आगामी वित्त उप समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:14 माननीय कुलपति एवं अतिथि आगंतुको के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई–रिक्शा के कय एवं कय पर सम्भावित व्यय 5.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति एवं बाहर से आने वाले आगन्तुकों के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई–रिक्शा का कय माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित धनराशि के अन्तर्गत सम्भव नही हो पा रहा है। वित्त उपसमिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि ई–रिक्शा का कय किया जाना आवश्यक हो तो आगामी बैठक में पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रबन्ध परिषद की 192वीं बैठक दिनांक 12–05–2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 192:3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022–23 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय व्ययक परिशिष्ट– क के अनुसार प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति परिशिष्ट–क के अनुसार अनुमोदित की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 192::4 **भारत सरकार के वित्त पोषण से कृषि विज्ञान केन्द्र ,बहराइच पर संचालित आकांक्षात्मक जनपद के अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज–1 वर्ष 2018–19 में नाडेप कम्पोस्ट पिट के 74 कृषकों का रू0 5.18 लाख के अनुदान का भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से भारत सरकार के वित्त पोषण से कृषि विज्ञान केन्द्र ,बहराइच पर संचालित आकांक्षात्मक जनपद के अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज–1 वर्ष 2018–19 में नाडेप कम्पोस्ट पिट के 74 कृषकों का रू0 5.18 लाख के अनुदान का भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 192::5 **विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परिषद के पत्रांक File Number :SRG/2021/000904 दिनांक 10 November 2021 स्वीकृत परियोजना "Assessment of determinants of bird assemblages across rural urban gradient in & around selected cities of Uttar Pradesh को विश्वविद्यालय में दो वर्ष के लिए संचालित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजना "Assessment of determinants of bird assemblages across rural urban gradient in & around selected cities of Uttar Pradesh को विश्वविद्यालय में दो वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 192::6 **विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चिकित्सालय हेतु एक एम्बुलेन्स वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णयार्थ ।**

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चिकित्सालय हेतु उपलब्ध एम्बुलेंस के पंजीकरण की वैधता जुलाई 2022 को समाप्त हो रही है। परिसर चिकित्सालय में एक एम्बुलेंस की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं / कर्मियों को आकस्मिक स्थिति में उपचार हेतु फैजाबाद /लखनऊ ले जाने में कोई असुबिधा न उत्पन्न हो।

उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह संस्तुति प्रदान की गयी कि एम्बुलेंस को निष्प्रयोज्य घोषित करने के उपरान्त एंबुलेंस की नीलामी कर वित्तीय नियमों के अधीन एक नई एम्बुलेंस का क्रय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किया जाय एवं वाहन का संचालन विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहन चालको से कराया

जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय। यह भी संस्तुति प्रदान की गयी कि पुरानी एंबुलेंस की नीलामी एवं नये एंबुलेंस के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि तक आवश्यकतानुसार किराये पर एंबुलेंस की व्यवस्था विश्वविद्यालय स्तर से की जाये।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी ।

पस्ताव संख्या 192::7 **विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त चालक श्री मो0 नियाज खां को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने की अनुमति शासन स्तर से प्राप्त न होने व अधिकांश कार्मिकों के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यो के सम्पादन में कठिनाई हो रही । इसी कम में माननीय कुलपति महोदय के वाहन के संचालन हेतु कोई नियमित चालक उपलब्ध न होने के कारण सेवानिवृत्त वाहन चालक श्री मो0 नियाज खॉ की सेवायें सेवानिवृत्त के उपरान्त ली जा रही है जिसकी दो वर्ष की अवधि दिनांक 03–06–2002 को पूर्ण हो जायेगी । श्री खॉ को 02 वर्ष से अधिक अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाया जाना आवश्यक है।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 192::8 **महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अकबरपुर ,अंबेडकरनगर के लिए नये वाहन का क्रय किये जाने का प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि महामाया कृषि अभियंत्रण एव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अकबरपुर ,अंबेडकरनगर के कार्यो के त्वरित निस्तारण हेतु एक नये वाहन का क्रय किया जाना है। वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महाविद्यालय हेतु एक नयें वाहन क्रय किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि महाविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलामी की कार्यवाही करने के उपरान्त ही वाहन का क्रय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किया जाय तथा वाहन का संचालन विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहन चालको से कराया जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव सं0 192:9 **विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु विज्ञापन सं 6/2021 के अन्तर्गत विज्ञापित विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञ पदों पर नियुक्तियों हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।**

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं 6/2021 दिनांक 6–10–2021 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञ /टी–6 के विभिन्न विषयों के 78 पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त कुल 1461 आवेदन पत्र में से 423 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया जिसमें से 322 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुये ।

एतदर्थ सक्षम स्तर से गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2022 से 08 मई 2022 के मध्य हुये साक्षात्कार के आधार पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के 7 पद (आर्थिक रूप से पिछडा), 17 पद (अनुसूचित जाति/जनजाति) , 21 पद (अन्य पिछडा वर्ग) एवं 31 पद (अनारक्षित वर्ग) की श्रेणी में नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये, जो उ0प्र0शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के संगत है । विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान – फूड प्रोसेसिंग /खाद्य प्रसंस्करण) /टी–6 के 02 पद (01 अनारक्षित एवं 01 अन्य पिछडा वर्ग) हेतु प्राप्त आवेदन पत्र स्कीनिंग में अयोग्य पाये जाने के कारण इन पदों के लिये साक्षात्कार नही कराया गया ।

उर्पयुक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विषय वस्तु विशेषज्ञ /टी–6 के उर्पयुक्त विवरण के अनुसार कुल 76 पदों हेतु चयन समिति की संस्तुति के बन्द लिफाफें को खोलते हुए उन पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान – फूड प्रोसेसिंग /खाद्य प्रसंस्करण) /टी–6 के 02 पद (01 अनारक्षित एवं 01 अन्य पिछडा वर्ग) हेतु पुनः विज्ञापन करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 192:10 **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पत्रांक सं0 55/14/07/2021–बी0आर0एन0एस0 /10986 दिनांक 04 जनवरी 2022 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजना " Radiation induced mutagenesis for the improvement of highly aromatic premium rice variety Kala Namak " को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति को उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:11 **विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक श्री राधेश्याम को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय।**

उर्पयुक्त प्रस्ताव को वित्त उपसमिति द्वारा अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:12 **कुलसचिव कार्यालय मे परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य गोपनीय कार्यो को कराने एक स्कार्पियों वाहन रिवाल्विंग फण्ड से कय करने पर विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।**

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध वाहन को निष्प्रयोज्य धोषित कर नीलाम किया जा चुका है । कुलसचिव कार्यालय के कार्यो के त्वरित निस्तारण हेतु एक नया स्कार्पियों वाहन का कय किया जाना है। वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुलसचिव कार्यालय हेतु एक नया स्कार्पियों वाहन कय किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि वाहन का कय कुलसचिव कार्यालय के चकीय निधि खाते से किया जाय तथा वाहन का संचालन विश्वविद्यालय नें उपलब्ध वाहन चालको से कराया जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:13 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra" को इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए कार्यान्वित किए जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra" को विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:14 **कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति "Development of Different Crop Residue Management Practices" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत "Development of Different Crop Residue Management Practices" परियोजना को विश्वविद्यालय नें संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:15

कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति " Establishment of Solar Park and Solar Tree for Promoting Farmers / Small Entrepreneurs " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा संदर्भित परियोजना हेतु शासन से स्वीकृति /अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:16

कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजनान्तर्गत स्वीकृति " Establishment of Seed processing unit to fulfill the demands of quality seed for increasing farmers income " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Establishment of Seed processing unit to fulfill the demands of quality seed for increasing farmers income "परियोजना को विश्वविद्यालय में संचलित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति को उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:17

कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजनान्तर्गत स्वीकृति " Strengthening and Modernization of Instructional Fish Farm at College of Fishries , A.N.D.U.A&T, Kumarganj , Ayodhya " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत " Strengthening and Modernization of Instructional Fish Farm at College of Fishries , A.N.D.U.A&T, Kumarganj , Ayodhya " परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:18

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सब्जी विज्ञान प्रक्षेत्र पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एव इस पर सम्भावित व्यय रू0 996445.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सब्जी विज्ञान प्रक्षेत्र पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई–निविदा से कराये जाने एवं इस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 996445.00 को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मुआवजा विश्वविद्यालय

द्वारा क्रय की गयी भूमि के सापेक्ष प्राप्त हुआ है न कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी जमीन के सापेक्ष प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति स्पष्ट होने तक अधिग्रहण के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजे से व्यय की कार्यवाही न की जाय । उक्त कार्य यदि अपरिहार्य हो तो यह कार्य विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से करा लिये जाने की भी संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:19

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के उद्यान प्रक्षेत्र पर 2 फिट उंची दीवाल के साथ जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 997965.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के उद्यान प्रक्षेत्र पर 2 फिट उंची दीवाल के साथ जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई–निविदा से कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 997965.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मुआवजा विश्वविद्यालय द्वारा क्रय की गयी भूमि के सापेक्ष प्राप्त हुआ है न कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी जमीन के सापेक्ष प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति स्पष्ट होने तक अधिग्रहण के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजे से व्यय की कार्यवाही न की जायें। उक्त कार्य यदि अपरिहार्य हो तो यह कार्य विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से करा लिये जाने की भी संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:20

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के खेल मैदान पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 898109.21 विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के खेल मैदान पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई–निविदा द्वारा कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 898109.21 विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने पर कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी है ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

प्रस्ताव संख्या 192:21 **विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वयं के श्रोतो से प्रस्तावित विभिन्न लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यो पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।**

उक्त प्रस्ताव द्वारा कुल 21 लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यो को कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष निम्नानुसार कुल 11 लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यो को उनके सम्मुख वर्णित सम्भावित व्यय की धनराशि को विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किये जाने की वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ::–

प्रस्ताव सं0 20 की कम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू0 में
1	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर खेल मैदान पर स्थित रनिंग ट्रैक के किनारों पर ब्रिक एजिंग का निर्माण	205965/–
4	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित कालिन्दी एवं वरूणा छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	992060/–
5	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित ब्रह्मपुत्र, रोहिणी एवं हिरणावती छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग एवं चहारदीवरी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	995200/–
6	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित डा0 आर0एम0 एल0इं0 आफ बायोटेक्नालोजी के बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	970852/–
7	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर निर्मित चहारदीवारी के डेयरी प्रक्षेत्र से जी0पी0बी0 प्रक्षेत्र तक के भाग की चहारदीवारी पर concertina wire fencing का निर्माण	994880/–
14	विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3.15 मीटर चौड़ा एवं 305 मी0 लम्बे पुराने मार्ग का स्तर उचॉ करने एवं चौडाई 5 मी0 किये जाने का कार्य	997003/–
15	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मण्डी परिषद द्वारा नवनिर्मित छात्रावास एवं राप्ती छात्रावास के पिछले भाग एवं सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के पिछले भाग की चहारदीवारी पर concertina wire fencing का निर्माण	915871/–
16	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	995470/–
18	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित गोमती एवं अचिरावती छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	711353/–
19	विश्वविद्यालय के फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा पर स्थित कार्यालय भवन के छत एवं टवायलेट की मरम्मत	997000/–
21	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित किसान भवन–।। के भूतल के कमरों, गैलरी ,टवायलेट एवं डायनिंग हाल की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	463000/–

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति अनुमोदित की गयी।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक ए0एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–192वी बैठक/लेखा/2022/1193 दिनांक 13-05–2022

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–क

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,अयोध्या
आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2021–22 एवं अनुमान वर्ष 2022–23 (धनराशि लाख में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2021–22	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2022–23
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	5820.87	8587.06
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1356.74	2560.09
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	184.75	506.12
घ	कृषि महाविद्यालय कैंम्पस आजमगढ	413.84	543.77
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	—	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	147.86	624.36
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	**7926.06**	**12833.40**
2	राज्य सरकार पूॅजीगत		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	293.94	361.72
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	500.00	3300.00
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	14.07	16.67
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	—	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	25.00	100.00
छ	कृषि विज्ञान केन्द्रो को सेंन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	171.35	300.00
ज	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1871.94	2834.25
	योग (राज्य सरकार पूॅजीगत)	**2876.30**	**6914.14**
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	4949.40	4696.66
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	355.73	581.89

ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	29.12	100.00
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	42.21	50.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	7.48	50.00
छ	केन्द्रीय सहायता स्ट्रेन्थनिंग आफ डेवलपमेन्ट	154.99	500.00
ज	नाहेप योजना(NAHEP)	90.59	190.68
झ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	881.81	1085.17
ट	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	8.11	1016.99
ड	इन्टर्नशिप के भुगतान हेतु	9.80	15.00
ढ	शेडयूल कास्ट सब प्लान	29.50	50.00
	योग	**6558.74**	**8336.39**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	156.63	83.08
	योग	156.63	83.08
5	चक्रीय निधि	561.15	973.60
	योग	**561.15**	**973.60**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5तक)	**18078.88**	**29140.61**

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय नरेन्द्र नगर कुमारगंज अयोध्या की 193वीं विशेष बैठक दिनांक 03–08–2022 की कार्यवृत्ति ।

स्थल– सभा कक्ष, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, दिलकुशा लखनऊ ।
समय– पूर्वान्ह 11.00 बजे ।
उपस्थिति–

1.	डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0	सदस्य
3.	श्री अजय सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी, अपर निदेशक, कोषागार, लखनऊ, नामित सदस्य,,अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग, उ0प्र0	सदस्य
4.	डा0 सुधीर कुमार, आर0एच0ई0ओ0 लखनऊ नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0	सदस्य
5.	श्री टी0पी0चौधरी, अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा) नमित सदस्य, निदेशक कृषि, उ0प्र0	सदस्य
6.	डा0 वी0के0सिंह, संयुक्त निदेशक,(नि0) नामित सदस्य, निदेशक पशुपालन	सदस्य
7.	डा0 रणधीर सिंह, प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	सदस्य
8.	श्री गंगा सागर राय, प्राख्यात उद्योगपति	सदस्य
9.	श्री विजय बहादुर दूबे, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
10.	श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में मा0 कुलपति/अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध परिषद् के मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विर्मश करते हुए निम्नवत् निर्णय लिये गये–

प्रस्ताव सं0 193:1– डा0 रमेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग, कृषि महाविद्यालय के निलम्बन के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय

New Microsoft Off.word.

जॉच समिति का गठन करते हुए जॉच रिपोर्ट मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

जॉच समिति में निम्न सदस्यों को प्रबन्ध परिषद् द्वारा नामित किया गया–

1.	निदेशक प्रसार	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय	सदस्य
3.	कुलसचिव	सदस्य

प्रस्ताव सं0 193:2 **विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय के आधार पर पुनः कार्य पर लगाये जाने हेतु अधिकतम सीमा 02 वर्ष के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की 187वीं बैठक के प्रस्ताव सं0 187:5 में लिये गये निर्णय पर विचार एवं निर्णय।**

सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति नहीं प्रदान की गयी।

उक्त कार्यवृत्त को सचिव, प्रबन्ध परिषद् द्वारा बैठक में पढ़कर सुनाया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ उक्त बैठक समाप्त हुई।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियन्त्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद्

(डा0 बिजेन्द्र सिंह) 3.8.22
कुलपति / अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय नरेन्द्र नगर कुमारगंज अयोध्या।

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी. / प्र.परि.–193वीं विशेष बैठक / लेखा. / 2022 / 519 दिनांक 3/8/2022

प्रतिलिपि मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियन्त्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद्